

卷之三

माराठा सरकार

गोप्य द्वय शुद्धा ।

Duplicate Copy: CRS LP05014230 12/19/2019

तिला का नाम	देवधर	अनुमंडल नाम	देवधर	अचंल का नाम	देवधर	हल्का	हल्का-11
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	आग दर्तमान (VOL)	15	पृष्ठ संख्या दर्तमान	17	थाना न.	01

कृता का नाम

राजस्व कमेंचारी हल्का-11 को आवश्यक कार्यवही एवं सूचना थे हस्तान्तरित यह एक कंप्यूटर जिसे पति है यह प्रपत्र के बहुत प्राची की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी ज्ञानालय में मास्टर्स के रूप में नहीं किया जा सकता है

Digitally Signed By : ANIL KUMAR SINGH
अंचलाधिकारी देवधर

Digitally Signed By :
अचलाधिकारी देवध

四

नवपत्र विद्या प्रिलालि किया

प्रतिलिपि
प्राप्ति अनुसारते प्रतिलिपि
राम उत्तर द्वा॑
३।५३-१


४७/ Certified copy of final order sheet of M.C. No. IL42/R27/2019
order dated - 17.12.2019, Applicant Name - Smt. Rekha kumar

Date of Application	Date of filing	Date of Ready	Date of Delivery
<input type="checkbox"/> 30.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019.

(Duplicate Copy): RPTCO05011059 19-Dec-2019

तिथि
Dec 17 2019

आदेश



अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा नीलकंठपुर थाना देवधर

खाता	प्लॉट	रकबा
184/1	TPP 188	0 एकड़, 0 डिसमील, 1470वर्गफीट

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती मंजु देवी	पति	श्री तुलानन्द सिंह

है जिन्होंने निर्वंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या/शपथ पत्र 1059 दिनांक Nov 7 2019 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती मंजु देवी	पति	श्री तुलानन्द सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। अतः वार्षिक लगान 40रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। 1. ह0 कर्मचारी पंजी ॥ में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by : ANIL KUMAR SINGH

अंचलाधिकारी देवधर

नक्सा किया

प्रियान सहायक
अंचल कार्यालय, देवधर

मिलान किया

प्रतिलिपि
राम ३१.१२.२०१९
प्रियान सहायक
अंचल कार्यालय, देवधर
1872 के अधिनियम । की धारा
76 के अन्दर अवैकृत।

